क्रमांक 3322851/2016/ 1596
कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष.2552646,2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email- encwrdbpl mp@ nic.in
—0—

भोपाल, दिनांक 13/09/2019

// कार्यालयीन आदेश//

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित प्रतिक्षा सूची में से कार्यालयीन आदेश क्रं.3322851/2016/1642 दिनांक 13.08.2018 द्वारा 8 अभ्यार्थियों को उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के स.क्रं. 8 पर अंकित नाम श्री सफदर खान (भू.पू.सैनिक) द्वारा कार्य ग्रहण न करने के कारण प्रतिक्षा सूची के स.क्रं. 2 पर अंकित नाम के अभ्यार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2018 को प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य कर मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल के तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक के तहत, उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर वेतनमान वेतन बैण्ड रू. 9300—34800 ग्रेड पे 3200/— (सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल 8) पर अस्थाई रूप से कार्यग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

स.क.	रोल नं.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति
1	22758303	श्री लक्ष्मन दास साहू, आ. श्री प्रागी लाल साहू	11.08.1976	अ.पि.वर्ग (भू.पू.सैनिक)

शासकीय सेवा में नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार रहेगी :—

01 उपरोक्त नियुक्त अभ्यार्थियों की वरिष्ठता पदक्रम सूची में कार्यग्रहण दिनांक से निर्धारित की जावेगी।

02 मध्यप्रदेश शासकीय सेवा अस्थाई/अर्द्वस्थाई सेवा नियम 1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकती है । संबंधित अभ्यार्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू—राजस्व की बकाया के भांति वसूली योग्य होगी ।

03 अभ्यार्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्वान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय—समय पर विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी।

04 उक्त अभ्यार्थियों की परिवीक्षा अवधि स्थायीकरण, वरिष्ठता,पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जल संसाधनसेवा (अरा.)भर्ती नियम 1969 के अध्यधीन होगें।

05 शपथ पत्र में दी गई जानकारी पुलिस चरित्र सत्यापन में असत्य पायी जाती है तो ऐसे अभ्यार्थी का नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

06 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जांच करने पर यदि असत्य पाये जाते है तो उनके आदेश निरस्त माना जायेगा।

07 इन नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु.जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994)का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

13/9/19
(एम.एस.डावर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग भोपाल

पृ0 क्रमांक 3322851/16/ 1597 — भोपाल, दिनांक 13/09/2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, वि./यां., जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. अधीक्षण यंत्री .... ।
3. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता,जलसंसाधन विभाग भोपाल।
4. निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
5. वैब मेनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
6. संबंधित श्री लक्ष्मन दास साहू को निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु दिनांक 24/09/19 को कार्यालयीन समय प्रातः 11 बजे कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,तुलसी नगर, भोपाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
   1. शैक्षणिक योग्यता/निवास एवं जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे साथ ही, उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं पासपोर्ट फोटो भी अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेंगे।
   2. संलग्न प्रपत्र में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
   3. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

   उक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता/निवास एवं जाति संबंधी दस्तावेजों को सही पाये जाने पर ही आपको नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा, और आपको उसी दिन उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

   चरित्र सत्यापन का प्रपत्र विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध है। जिसको पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। (वैबसाइट **www.mpwrd.gov.in** पर भी उपलब्ध है)

13/9/19
(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता

D:/332/KhSr/SVD/22-01-2019/U/